कार्यालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 49/2017 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री मोतीलाल सिंघानिया नि0 जी–37 रीको चतुर्थ फेज, आवासन कॉलोनी, पुर रोड भीलवाड़ा	बनाम	लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
—अपीलार्थी		—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 13/06/2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 15.05..2017 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 08/04/2017 का एक आवेदन मय निर्धारित शुल्क 10/–रूपये पोस्टल ऑर्डर संख्या 35एफ 762763 प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को डाक से भिजवाते हुए सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 08/04/2017 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 17/05/2017 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया। तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक/सू.प्र./2017 दिनांक 18.05.2017 से तथ्यात्मक प्रतिवेदन भिजवाते हुए अवगत कराया कि अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 11.04.2017 को प्राप्त जिसमें चाही गई सूचना अपीलान्ट को कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा के राजस्व अनुभाग के पत्रांक एफ 40 –35(6) (3) आरटीआई/ आरए/

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

16/ आरए –65/ 3111 दिनांक 09.05.2017 के द्वारा जरिये डाक भिजवाई गई जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की है।

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर भीलवाड़ा के द्वारा अपीलान्ट के आवेदन दिनांक 11.04.2017 से जो सूचना चाही गई वह अपीलान्ट को राजस्व अनुभाग के पत्रांक एफ 40 –35(6) (3) आरटीआई/ आरए/ 16/ आरए –65/ 3111 दिनांक 09.05. 2017 से उपलब्ध कराई गई जिसकी प्रति अपीलान्ट को जरिये डाक प्रेषित की गई जिसे प्राप्त होना वक्त बहस स्वयं अपीलान्ट ने स्वीकार किया है। वक्त बहस अपीलान्ट ने एतराज किया कि सूचना अपील में अंकितानुसार प्राप्त नहीं हुई है । स्वयं अपीलान्ट का कथन है कि सम्बन्धित इकाई (महाराणा टॉकीज) हेतु भूमि का आवंटन सन् 1973 से भी पूर्व का है। अपीलान्ट को पत्रांक 3111 दिनांक 09.05.2017 से पत्रावली क्रमांक व आदेश दिनांक या उसकी प्रति उपलब्ध कराये जाने पर ही सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव होने के लिए पत्र प्रेषित किया परन्तु अपीलान्ट के द्वारा उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर यह अपील प्रस्तुत की है जो निराधार है। जब तक चाही जाने वाली सूचना का अंकन स्पष्ट नहीं होगा तो सूचना किस आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जो भी सूचना कार्यालय में उपलब्ध है उसे उपलब्ध कराने के प्रावधान है। अपीलान्ट के द्वारा चाही जाने वाली सूचना का कोई दस्तावेज या पत्रावली नम्बर आदि प्रस्तुत नहीं किए । ऐसी स्थिति में यह अपील सारहीन है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर भीलवाड़ा को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 13/06/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा